राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2389/2024 सागर मल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर। 3. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जीपीओ, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।	24.07.2024	30.06.2020	श्री सिया राम अग्रवाल, अभिभाषक
2.	2390/2024 आसू सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर। 3. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जीपीओ, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।	24.07.2024	30.06.2012	श्री सिया राम अग्रवाल, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 26.07.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2389/2024 सागर मल बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2020 से एक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए एवं अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति पुलिस विभाग में हुई। अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद से दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हुए। जिसके संदर्भ में पीपीओ आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30.06.2020 है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी ने 2019–20 के पूरे वित्तीय वर्ष के लिए काम किया। अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2020 से मिलने वाला एक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2020 को

मिलने वाले लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। P. Ayyamperumal (Supra) में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि जब एक बार कर्मचारियों ने एक वर्ष का पूरा सेवाकाल कर लिया था। 30 जून को एक वर्ष की पूरी सेवा के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय थी और उस समय तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। इस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप ले चुका है। इसके बाद गोपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले का पालन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। इसी तरह के मामले से संबंधित निर्णय अधिकरण में अपील संख्या है। 2311/2024 शीर्षक जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य समान निर्णय पारित किया गया।

अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2020 से एक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए एवं अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ दिलाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2389/2024 सागर मल बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)